रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91)

(1) Khalasi

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 450
K.M. 15
C.P.B. 435

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10, 1991/श्रावण 19, 1913

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 1991/SRAVANA 19, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

COMPLETED
पूरा कर दिया गया है
20/9/91

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1991

सा.का.नि. 447 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) भर्ती नियम 1986 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया है, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में पुस्तकालय सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग) पुस्तकालय सूचना सहायक भर्ती नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

Attested

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1991

सा.का.नि. 455.——राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलावती सरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली में खलासी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली (खलासी) भर्ती नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें व होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तंभ 15 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश, द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
खलासी	1 (एक)* (1991) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	750-12-870 द.रो.-14-940 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	नहीं

Attested
[signature] 5/10

Asstt. Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication

6

टिप्पण : 2. ऐसे पद की बाबत, जिस पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी। जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : 1. आठवां स्तर उत्तीर्ण वांछनीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी व्यवसाय, अर्थात् तकनीशियन, खलासी, वैल्डर, मैकेनिक, मशीन मिस्त्री, आदि में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 1. उप-चिकित्सा अधीक्षक --अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी --सदस्य 3. श्रम कल्याण अधिकारी --सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी --सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ए.-12018/55/89-आर.आर. (एम यू-यू जी/डेस्क)]
लाल सिंह, डेस्क अधिकारी

Attested
Asstt Controller (Business)
Govt of India

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd July, 1991

G.S.R. 455.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Khalasi in the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Kalwati Saran Children's Hospital, New Delhi (Khalasi) Recruitment Rules, 1991.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruitment.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972.
1	2	3	4	5	6	7
Khalasi	1 (one)* (1991)	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 750-12-870-EB-14-940.	Not applicable.	18 to 25 years. Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. NOTE 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). NOTE 2 : In respect of post, the appointment to which is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	No

*Subject to variation dependent on workload.

Attested
3/10

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Depa...

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation of any.
8	9	10
ESSENTIAL: 1. 8th Standard pass. DESIRABLE: Diploma/Certificate from Indutrial Training Institute in any trade viz. Technician, Khalasi, Welder, Mechanic, Machinist etc. NOTE 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. NOTE 2. The qualification(s) regrding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission /Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	2 years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of vacancy to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
100% by direct recruitment.	Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Medical Superintendent — Chairman 2. Senior Technical Officer — Member 3. Labour Welfare Officer — Member 4. Chief Administrative Officer/Administrative Officer — Member	Not applicable.

[No. A-12018/55/89-R.R.(ME-UG/Desk.]

LAL SINGH, Desk Officer

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1991

सा.का.नि. 456—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय ज्येष्ठ ओषध विज्ञानी (पशु चिकित्सा) भर्ती नियम, 1985 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम मनाते, हैं, अर्थात :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संचालन निदेशालय, ज्येष्ठ ओषध विज्ञानी (पशु चिकित्सा) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

Attested

Asstt Controller Business)
Govt of India